M.I

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28122020-223947
CG-DL-W-28122020-223947

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2020, शनिवार / अग्रहायण 22 — अग्रहायण 28, 1942
No. 40] NEW DELHI, DECEMBER 13-DECEMBER 19, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 22-AGRAHAYANA 28, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 192.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग (ज्येष्ठ सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी) भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या किए जाने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ज्येष्ठ सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

2042995/2021/VBD

(ii) with six years regular service in posts in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Secretary (In charge of Administration), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (In charge of Administration) Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (In charge of General Branch) Union Public Service Commission -Member;	Not applicable

[F. No. 39021/04/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 195.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जहां तक मलेरिया निरीक्षक पद से सम्बंधित है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' के पद) भर्ती नियमावली 1980 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.) में मलेरिया निरीक्षक उक्त पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम मलेरिया निरीक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर **या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।**

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

2042995/2021/VBD

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मलेरिया निरीक्षक	06* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200 - 92300/- रु0)	चयन	18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्वच्छता या स्वास्थ्य निरीक्षक के पाठ्यक्रम में एक वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। वांछनीय: (i) मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से मलेरियल शास्त्र या फिलेरियल शास्त्र में कम से कम छह माह का प्रशिक्षण। (ii) कंप्यूटर पर परिचालन का ज्ञान।	नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

042995/2021/VBD

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) के स्तर 4 में प्रयोगशाला सहायक श्रेणी II द्वारा जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो जिन्होंने मलेरियल शास्त्र या फिलेरियल शास्त्र में कम से कम छह माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो जिसके ना हो सकने पर वेतन मैट्रिक्स (19900 - 63200 रु) के स्तर 2 में कीट अभिग्राहकों में से श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की हो और मलेरियल शास्त्र या फिलेरियल शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	**1. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:-** (i) संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष ii) उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय/ दिल्ली / नई दिल्ली स्थित महानिदेशालय के किसी संस्थान से – सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य **2. विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:-** (i) संयुक्त निदेशक//उपनिदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष (ii) उपनिदेशक/ स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय/ दिल्ली / नई दिल्ली स्थित महानिदेशालय के किसी संस्थान से – सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 1-42/2018-एनवीबीडीसीपी (प्रशा I)]

वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th December, 2020

G.S.R. 195.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of National Malaria Eradication Programme, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the post of Malaria Inspector, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Malaria Inspector in the National Vector Borne Disease Control Programme, (NVBDCP), under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.—**

(i) These rules may be called the National Vector Borne Disease Control Programme, Malaria Inspector (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the Pay Matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Malaria Inspector	06* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Level- 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)

Whether selection post or non-selection posts	Age - limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection	Between 18 and 27 years. (relaxable upto 40 years in case of departmental candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	**Essential** (i) 12[th] class or equivalent pass with Science from a recognized Board. (ii) Should have passed one year Sanitary or Health Inspector's Course from a Government recognised Institute. **Desirable:-** (i) At least six months training in Malariology or Filariology from a Government recognised institute. (ii) Operational Knowledge of Computer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
No	Two years	By promotion failing which by direct recruitment

042995/2021/VBD

In case of recruitment by promotion or absorption, grades, from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By Promotion from Laboratory Assistant- Gr-II in the level 4 in Pay Matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service who have passed six months training in Malariology or Filariology failing which from Insect Collectors in the level 2 of Pay matrix (Rs.19900-63200) with thirteen years regular service in the grade and have undergone training in Malariology or Filariology.	**1. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Joint Director/ Deputy Director, National Vector Borne Diseases Control Programme Chairman ; (ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services /Any other institution of the Dte. Located in Delhi /New Delhi: Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme: - Member. **2. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Joint Director/Deputy Director, National Vector Borne Diseases Control Programme - Chairman; (ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services /Any other institution of the Dte. Located in Delhi /New Delhi: Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member.	Not applicable.

[F. No. 1-42/2018-NVBDCP (Admn. I)]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 196.—केंद्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 28 की उपधारा 2 के खंड (घ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (महाप्रबंधक) समूह 'क' भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है ब्रह्मपुत्र बोर्ड में महाप्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ब्रह्मपुत्र बोर्ड (महाप्रबंधक) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।